तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस हुक्म ... में जारी हुए
25.6.19	पत्रावली आज पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित तहसीलदार बेगूं द्वारा पत्रावली में फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई पत्रावली आइन्दा वास्ते बहस बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 16.7.19 को पेश हो।	
16/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष बहस हेतु अवसर चाहते हैं। पत्रावली आइन्दा वास्ते बहस बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 5/8/19 को पेश हो।	
5/8/19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता प्रतिवादी अवकाश चाहते हैं। अवकाश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 21/8/19 को पेश हो।	
21/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार बेगूं द्वारा प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा को डिक्री करने पर बहस सुनी गई। दावे को अंतिम डिक्री किया जाता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

21/8/19

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 57/2017

1. सम्पतलाल पिता रूपा जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ

..............वादी

बनाम

1. रतन पिता नन्दा जाति मीणा निवी फंवरिया तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ राज॰
2. भोजराज पिता (दत्तक पुत्र) गोपी जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ
3. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय बेगूँ

.................प्रतिवादीगण

उपस्थित : विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी
चन्द्र प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1

निर्णय दिनांक : 21.08.2019

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र वादी का अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल केरपुरा तहसील बेगूँ के खाता संख्या 61 में अंकित आराजी नंबर 218 रकबा 0.600 हे0 किस्म बंजड भूमि संयुक्त खातेदारी से खाता में दर्ज रेकार्ड होकर उक्त वर्णित आराजी में वादी का 1/4 हक हिस्सा निहित होकर वादी अपने निहित हक एवं हिस्से भी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/4 हक हिस्सा निहित है जिस पर वादी निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, लेकिन उक्त वाद वर्णित आराजी का राजस्व रेकार्ड में एवं मोके पर विधिवत विभाजन नही होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन भूमि के कम अधिक को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए वादी को अपने निहित हक हिस्सा आराजी का विभाजन करा खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई।

यह कि वादी के निहित हक हिस्सा भूमि का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर खाता अलग अलग दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

यह कि दिनांक 15.06.2017 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील बेगूँ में चलकर आपसी सहमति से वर्णित आराजी का विभाजन करा खाता अलग अलग कराने की कहा तो प्रतिवादीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया जिस कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान हैं।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान् से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि –

1. कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी के निहित हक हिस्सा 1/4 भूमि का अच्छी से अच्छी व बूरी से बूरी का मोके पर काबिजानुसार विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान फरमाई जावे।
2. कि वाद व्यय एंव अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।
3. कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में हाजिर नही आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 कि ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत कर ईकबालिया जवाब पेश किया गया। दोनो पक्षो द्वारा वाद वर्णित आराजी का विभाजन चाहने से तनकी कायम न की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। इस दौरान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त निर्देशों की पालना में पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प खैरपुरा पर रखायी गई । पत्रावली में दोनो पक्षों के

Scanned by CamScanner

उपस्थित आने से वादपत्र में सुनवाई की जाकर वाद पत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिकी किया गया :

"अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0 एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। मौजा ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कैरपुरा तहसील बेगूँ कि खाता संख्या 81 में अंकित आराजी संख्या 218 रकबा 0.8000 हे0 किस्म बंजड भूमि में वादी का हक हिस्सा 1/4 अच्छी से उच्छी एवं बुरी से बुरी व मौके पर काबिजानुसार आधार पर विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त वर्णित भूमि का उक्तानुसार विभाजन किया जाकर फर्द बंटवारा रिपपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दो प्रति में पालना आईन्दा पेशी पर पेश की जावे। शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा जमाबंदी अनुसार बदस्तुर रहेगा। इस हेतु पृथक से डिकी तैयार की जाकर पालनार्थ से भू.अ. निरीक्षक को जरिये तहसीलदार बेगूँ दी जावे।"

उक्त प्राथमिक डिकी की प्रति पालना हेतु तहसीलदार बेगूँ को भिजवाई गई। तहसीलदार बेगूँ के पत्रांक 568 दिनांक 14.06.2019 से पालनार्थ बटवाडा प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त बटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। बहस में उभयपक्ष पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट पर सहमत हुये तथा वादपत्र को अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया।

अत : वादपत्र वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाता है। वादपत्र मुताबिक बटवाडा प्रस्ताव, मोजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का केरपुरा की आराजी संख्या 218 किता 1 रकबा 0.80 हे0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक–पृथक कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है :

1. रतनलाल पिता नन्दा मीणा सा0 देह खातेदार के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
218 में से	0.29	0.54
किता 1	0.29 हे0	0.54 रू0

2. सम्पतलाल पिता रूपा मीणा सा0 देह खातेदार के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
218 में से	0.14	0.26
किता 1	0.14 हे0	0.26 रू0

3. भोजराज दत्तक पुत्र गोपी मीणा सा0 देह खातेदार के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
218	0.14	0.26
किता 1	0.14 हे0	0.26 रू0

4. रतनलाल पिता नन्दा 1/2 सम्पतलाल पिता रूपा 1/4 भोजराज दत्तक पुत्र गोपी 1/4 मीणा सा0 देह खातेदार के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
218 में से	0.03	0.05
किता 1	0.03 हे0	0.05 रू0

उक्तानुसार खाते पृथक–पृथक किये जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

21/8/19

सहायक कलेक्टर,

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

दावा संख्या : 57 / 2017

1. सम्पतलाल पिता रूपा जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ
..............वादी

बनाम

1. रतन पिता नन्दा जाति मीणा निवी फंवरिया तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ राज.
2. भोजराज पिता (दत्तक पुत्र) गोपी जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील बेगूँ
3. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय बेगूँ

.................प्रतिवादीगण

उपस्थित : विजय प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादी
चन्द्र प्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1

निर्णय दिनांक : 21.08.2019

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 1 कि ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में इस वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आज दिनांक 21.08.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से दी जाती है :–

अत : वादपत्र वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाता है। वादपत्र मुताबिक बटवाडा प्रस्ताव, मोजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का केरपुरा की आराजी संख्या 218 किता 1 रकबा 0.60 हे0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य निम्न प्रकार से खाता पृथक–पृथक कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है :

1. रतनलाल पिता नन्दा मीणा सा0 देह खातेदार के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
218 में से	0.29	0.54
किता 1	0.29 हे0	0.54 रू0

2. सम्पत लाल पिता रूपा मीणा सा0 देह खातेदार के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
218 में से	0.14	0.26
किता 1	0.14 हे0	0.26 रू0

3. भोजराज दत्तक पुत्र गोपी मीणा सा0 देह खातेदार के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
218	0.14	0.26
किता 1	0.14 हे0	0.26 रू0

Scanned by CamScanner

4. रतनलाल पिता नन्दा 1/2 सम्पतलाल पिता रूपा 1/4 भोजराज दत्तक पुत्र गोपी 1/4 मीणा सा0 देह खातेदार के खाते में

आराजी नं0	रकबा	लगान
218 में से	0.03	0.05
किता 1	0.03 हे0	0.05 रू0

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता पृथक पृथक दर्ज किया जावें।

अंतिम डिकी आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मृद्रा से जारी की गई है।

21/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner